

cretion and power of the President to summon Parliament or to dissolve it. In ordinary circumstances, the Parliament has to be in session for a period of five years. It is not necessary to bring in a separate Bill....

Shri Sonavane: Under what article the President is to exercise the power? Talking offhand does not help.

Shri E. Narayana Rao: This is my view. I do not have the document readily available. This is his prerogative under the Constitution. The President has the power to prorogue, dissolve or call Parliament. If he wants me to explain the legal position with detailed references to the relevant articles, I may not be able to do it because I have not the document with me now.

Be that as it may, what I mean to suggest is this, that it is rather intriguing that necessity for such a Bill was felt at all. The Third Parliament was summoned in April, 1962, and in normal circumstances it would be in existence for a period of five years. But due to certain circumstances the President is pleased or the President considers that the new Parliament should be called into session earlier. What he could do within his powers under the Constitution he did. So I do not know why for this purpose any Ordinance and a subsequent enactment were considered necessary. May be I am wrong in my view. But this is what I feel.

Shri Krishna Kumar Chatterjee (Howrah): The hon. Member who has just spoken has not taken into consideration the fact that an Ordinance was promulgated by the President. That being so, naturally a Bill to replace it has to come before the House. That Bill has already passed two stages. So naturally this question which he has raised should not have been raised.

Shri Govinda Menon: I would like to state for the information of the

hon. Member who raised the constitutional question that as soon as elections are over, it is not open to the President to call the members who have been elected by that process. Under section 73 of the Representation of the People Act 1951, Parliament or Assembly has to be constituted, and that constitution is effected by a notification by the Election Commission. It is that notification that was proposed to be made sometime in April after all the elections were over. Since it had to be done earlier, it became necessary to amend section 73 of the relevant Act. What is attempted here is to give effect to that amendment.

Shri J. Ahmad (Dhubri): I want to speak on this. I am in support of. . . .

Mr. Deputy-Speaker: No, No, he has no right to speak now.

The question is:

"That the Bill be passed".

The motion was adopted.

17.48 hrs.

LAND ACQUISITION (AMENDMENT AND VALIDATION) BILL

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (**Shri Annasahib Sinde**): I beg to move:

"That the Bill further to amend the Land Acquisition Act, 1894 and to validate certain acquisition of land under the said Act, be taken into consideration".

The Land Acquisition Act, 1894, is applicable to the whole of India except the States of Kerala, Mysore, Rajasthan and Jammu and Kashmir which have their own laws on the subject. For acquisition of land for a public purpose, the procedure prescribed under the Land Acquisition Act, 1894, is that a preliminary notification is issued under section 4(1) of the Act which indicates that a parti-

[Shri Annasaheb Shinde]

cular area of land is a needed, or is likely to be needed, for a public purpose. The issue of the preliminary notifications empowers the officers of the Government to enter upon the land and make surveys etc, and enables the person interested to file objections with regard to the proposed acquisition. The Collector, after hearing these objections, makes a report to the Government and thereupon the Government makes one or more declarations under section 6 in respect of land specified in the preliminary notification stating that such land is needed for a public purpose or for a company. In case of large projects, this procedure is adopted in a phased manner and a declaration under section 6 is published only when a particular part of the land is actually needed for the project, whether for setting up of the plant, development of township, roads and other ancillary requirements. Here I may point out that the Act does not prescribe any time-limit within which declaration under section 6 should be published in respect of land covered by the initial notification under section 4(1).

Compensation which is payable by the authority or company requiring such land, is determined with reference to the market value at the date on which the preliminary notification under section 4(1) is published, irrespective of the date of issue of section 6 declaration.

In their judgment dated 9.2.1966 in the case: the State of Madhya Pradesh Vs. Vishun Prasad Sharma and others the Supreme Court held that once a declaration under section 6 of the Act is issued, whether it be in respect of a part of the land or in respect of the whole of it as notified under section 4 (1), the effect of the preliminary notification is exhausted and further declarations under section 6 of the Act would be invalid. In other words, Government cannot acquire land by means of successive declarations.

The said decision of the Supreme Court posed a serious problem not only in respect of pending cases of acquisition of land for various public purposes, but also for the acquisition of land in future. Whenever land is notified for acquisition under section 4(1), it is not always possible, nor desirable, to issue the declaration under section 6 for the entire area all at once. Acquisition has to be done in stages, consistent with the requirements of the situation. The object of the preliminary notification under section 4(1) is not only to make it widely known that a particular area is required, or likely to be required, for a public purpose and to invite objections, but also to fix a date with reference to which compensation is to be fixed. The market value at the date of such notification is taken as the guiding factor to fix compensation under section 23 of the Act. This is an essential part of the scheme of the Act. It takes note of the fact that as soon as Government's intention to acquire any land becomes widely known, the land prices tend to increase sharply. Even speculation in land is not unknown. The preliminary notification under section 4 (1) therefore has the effect of pegging the prices of land. The preliminary notification is then followed by one or more declarations under section 6 in accordance with the phasing of the project in hand.

17.55 hrs.

[SHRI G. S. DHILLON in the Chair]

In the nature of things, it would be impossible to reopen all such cases where one preliminary notification under section 4(1) has been followed by successive declarations. To issue fresh preliminary notifications under section 4(1) would seriously dislocate projects for which part of land has already been acquired and compensation paid.

Consequently, to overcome the difficulties arising from the interpretation of the principal Act, and also to validate the cases immediately in hand,

an Ordinance was promulgated on the 30th January, 1967. In the Bill which has followed, we propose to provide for submission of more than one declaration under section 6 and incidentally to provide for submission of one or more reports under section 5A. The amendment is of a permissive character.

At the same time, care has been taken to ensure that the land acquisition proceedings, after the issue of the preliminary notification under section 4(1), do not linger on for unduly long time. The Bill, therefore, provided that no declaration under section 6 can be issued after the expiry of three years from the date of preliminary notification under section 4(1). In case of pending proceedings, it has been provided in the Bill that no declaration in respect of any part of the land covered by the preliminary notification, may be issued after the expiry of two years from the commencement of the Ordinance. To relieve the hardship of those owners of land in whose case there has been a time-lag of more than three years from the date of preliminary notification, it is proposed to make a provision in the Bill for which I am moving a separate amendment for payment of interest at the rate of 6 per cent per annum on the compensation.

It will thus be noticed that opportunity has been taken of the amendment to prescribe a firm time-limit within which section 6 declaration must be published and in case of the pending proceedings which are sought to be validated by the Bill, interest will be payable in the event of delay beyond three years. The publication of last declaration under section 6 in pending cases is also proposed to be restricted to within two years of the date of the Ordinance.

The Government of India have been conscious of the various problems which attend the acquisition of land, not the least of which is the question of administrative delays. This causes much hardship to the owners of land.

In cases of large projects, the problem of rehabilitation of the evicted families also calls for remedial measures. Further, it has been the policy of the Government to avoid acquisition of good agricultural land as far as possible. There are however instances in which good agricultural land has been acquired, resulting in loss of agricultural production.

In the past, the Law Commission of India examined the scheme of the Land Acquisition Act and made certain recommendations. More recently, my Minister also set up a Committee of officials to examine remedial measures against delays and other difficulties caused by the acquisition of land for various development projects. Although, the Committee has submitted its report, in view of the wide public concern, Government would like to constitute a Committee of Members of both Houses to go into the entire scheme of the principal Act. Since the subject is in the Concurrent List, representatives of various States will have to be associated with such a Committee. To conform to the Constitutional provisions, it would also be necessary to associate legal experts with the Committee. I would like to give this assurance to the House on behalf of the Government while commending the Bill to be passed.

The House may consider the Bill in the light of this situation.

Mr. Chairman: Motion moved:

"That the Bill further to amend the Land Acquisition Act, 1894 and to validate certain acquisitions of land under the said Act, be taken into consideration."

There are some amendments for eliciting public opinion and others for reference to the Select Committee. We can take them as moved.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): But are the Members moving those amendments?

Shri Dattatraya Kunte (Kolabo): Sir, I rise to oppose this Bill.

An hon. Member: Let the motion for circulation be moved first.

Mr. Chairman: The first motion is in the name of Mr. Yashpal Singh. Is he here? No. So, it is not moved. Various Members have sent in their motions: Shri Kanwarial Gupta, Shri Imam; they are not present here in Yashpal Singh, Shri Mohammad the House; so they are not moved.

18 hrs.

Shri Dattatraya Kunte: Sir, I rise to oppose the Bill. I have very patiently heard the hon. Minister, while he was making his observations, and I have not found any valid reason in support of the Bill which he has moved. He has only pointed out certain administrative difficulties which are of the making of the officers of the Government. This is an old Act, as old as 70 years, but during the last 20 years, we have found that the principle and the policy underlying this Act have been flagrantly abused by the powers that be, and therefore, on more than one occasion, it has become necessary for the Supreme Court to bring the Government to the right path, but the result has been that when the Supreme Court has given its decisions, this Government has misused the legislative powers of this House to amend the Act in such a manner as to get over the lawful interpretations of the Act put in by the Supreme Court. It will be found that the words "public purpose" were so interpreted by the officers of the Government in different States that this House has to take seriously into consideration what exactly the "public purpose" was. Here is a Bill which is trying to validate Acts which are void ab initio. If we look into the scheme of the Act, we find that it lays down that there shall be a notification under section 4, and then when that notification is issued, the

public ought to take into consideration that this land is wanted for a specific purpose. The Minister in charge said, because of a phased programme, there is no clear picture, and then he gives away his own case, saying that therefore there is no specific public purpose for which that notification is issued. Under these circumstances, one would expect the Government and those who require that this legislation should be passed, that they will go into specific recommendations and suggestions and then only the notification under section 4 will issue. Once the notification under section 4 is issued, it has become very difficult for the owner of the land to enter into any transaction anywhere, which means his fundamental right of disposing of his land anyway he likes is completely curtailed. But the scheme of the Act, as interpreted by the Supreme Court, is very clear: that there shall be a notification, and on the notification there shall be a report, and on that report there shall be recommendation and thereafter the final order or the declaration. Here, the Minister is coming and asking us that because it is a phased programme and therefore there has got to be more than one report and more than one declaration, let us validate them and let us pass this Bill because an ordinance has been passed.

I really want to question the very intentions of this Bill. Is it not a fact that the Government is trying to validate Acts which are ab initio void? And I do not think that this amendment would give them the result that they are wanting to have.

Then there is another point; the Minister was saying as if all these acquisitions of land are meant for projects which have a definite purpose. I want to refer to a very old case; the Badrinarayan Temple has certain lands in the city of Bombay. These lands are in the possession of the Defence Department; they are so for the last few years: I do not know

whether it is from the first world war or the second world war. The land comprises as many as 17 acres. They are only paying them some annual rental, and the only use that has been made of these 17 acres for the past 25 years and more is that a small railway link passes through this land. Beyond this, all the 17 acres are put to no use and the Badrinarayan Temple is paid some rent on the basis of some old prices. The very fact that the notification under section 4 makes it incumbent that the owner of the land will not get more compensation than the price prevailing at the time when the notification is issued makes it necessary for this House to take a serious note of this matter.

There is another very recent case. Across the island of Bombay, there is another place called Uran in my constituency where the defence department at one stage for their naval depot acquired 1100 acres of land. To the displaced persons compensation was paid, but they were not looked after. Government did not care to build houses for them or to give alternative service to them, though promises were made. As much as 75 per cent of this land is today not used for the purpose for which it was acquired. From year to year it is being let out to those old owners on a rental basis for cultivation. Yet, the defence department has again come forward for acquiring another 300 acres of land adjoining the 1100 acres for another branch of the defence department. When it was pointed out to them that here is 900 acres of land not being used and the other branch of the defence department wants to have it, but the first branch does not want to part with those 900 acres of land.

How was the notification issued? It is a funny picture. On the coast of Uran, there are certain bungalows of officers belonging to the defence department who do not belong to that place at all. They do not work in Uran; they are serving some where else. They are excluded from the

notification under section 4. But other lands where the people have got houses have been notified. Before we consider this Bill seriously, I would like to know whether the minister has applied his mind to such problems at all. He has not cited even one case. He does not even know, I am afraid, how many such cases are pending for how many years. Beyond paraphrasing the statement of objects and reasons, he has not given any details. He should have really supplied information to this House about how many cases are pending in how many States and who is responsible for the delay. To say an officer does not know how much of the land will be required is begging the question. It only means that while issuing the notification, neither the Government nor the persons who ask for the acquisition are clear in their minds. The Land Acquisition Act is absolutely abused and therefore the Supreme Court has to come down a heavy hand every time.

The minister was pleased to tell us that there was no time-limit before for those reports and declarations and now there will be a time-limit. The amendment about giving interest at 6 per cent is an after thought; it is not before the House at this stage and therefore, I would not like to consider it. What is the intention of the Government? Was it the intention of the framers of the Act in 1894 that the owner of the land get the price prevailing on the date when the notification was issued under section 4? If that was not the intention of the framers of the Act, Government might well come up with a new Act and not try to read something which does not exist in the original Act. This is really an absolute misuse of the powers that are there, especially when lands are being acquired, it is expected that additional compensation will be paid.

I see from the notices of Bills that have been circulated, there is a Bill by a certain hon. Member wherein he wants the prevailing land price to be paid—'prevailing' means at the time

[Shri Dattatraya Kunte]

when final declaration comes and not at the time when the notification is issued under section 4.

An hon. Member: It is a non-official Bill.

Shri Dattatraya Kunte: It is a non-official Bill. If it is a healthy suggestion the Government ought to accept it. It is expected of Government to accept healthy suggestions, and that is why I made a reference to that.

I want to ask, does the Minister know how many cases are there. I am prepared to yield place to him in case he is prepared to give some cases at least in respect of one State. Last time when the Supreme Court passed the judgment in the Kanpur case it was found that "public purpose" was something different from what is in the dictionary. Now we find that the Act says, there shall be a notification, there shall be a report and there shall be a declaration. The scheme is complete by itself. But to imagine something which is not part of the Act and to super-impose it because certain officers of the Government have not understood the Act, is really an injustice to the owners of the land. Therefore, one would have expected this Government to say, all right, our officers have committed mistakes and therefore we will again notify those lands. Nothing would have happened as it has happened in a number of cases. I know, for instance, when I was Chairman of the Housing Board, Bombay. Because certain lands which were notified did not include certain lands, which were surrounded by the lands included in the notification, fresh notifications were issued simultaneously and the first notifications withdrawn. Instead of coming with such a legislation because an ordinance was hurriedly issued, rather we expected the hon. Minister...

Mr. Chairman: The hon. Member should try to conclude now.

Shri Dattatraya Kunte: Sir, this is an important Bill and complete discussion ought to be allowed on this matter.

Shri K. G. Deshmukh (Amravati): But we have to finish within the time allotted.

Shri Dattatraya Kunte: This is a very serious matter. 'Land acquisition' is not a simple matter.

Shri K. G. Deshmukh: The hon. Member ought to have persuaded the Business Advisory Committee to give more time for this.

Shri Dattatraya Kunte: When such an important legislation is being considered, if the Business Advisory Committee did not understand the import of it, it does not mean that a Member should not have his full say in the matter. The hon. Minister said that it is Government's policy not to acquire agricultural lands. Then why are lands in Uran being acquired when bungalows are there. Is he prepared to give a promise that people in this area will not be dis-housed before alternative accommodation is provided for them and also suitable services are offered to them? Otherwise, Sir, it will not be correct to pass such Bills. While passing such Bills they make very laudable declarations, but once they become Acts, and those Acts are enforced they forget those laudable declarations. That has been the tale of the past. I expected that in the first Session of the Fourth Lok Sabha that tale would not be repeated, and not having seen that I have the solemn duty to oppose this Bill with all my strength.

Some hon. Members rose—

Mr. Chairman: Shri Madhok—.. ..

An Hon. Member: Sir, I gave my name first.

Shri Chintamani Panigrahi (Bhubaneswar): Sir, I have given some amendments.

Mr. Chairman: I know.

श्री चन्द्राज पणिक (दक्षिण दिल्ली) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। यह विधेयक अदालत के एक फैसले को रद्द करने के लिए लाया जा रहा है। भारत में अंग्रेजों ने कानून बनाया था भूमि की अधिग्रहण करने के लिए 1894 में एक कानून बनाया था। उस की धारा 4 के मुताबिक सर्वेमेंट किसी जमीन को नोटिफाई कर सकती है कि हमें सरकारी काम के लिए या पब्लिक काम के लिए आवश्यक होगी। उस के ऊपर धारा 5 के मुताबिक कुछ प्रावधान करने की इजाजत है और फिर धारा 6 के मुताबिक सर्वेमेंट घोषणा कर सकती है कि वे इस जमीन के लिये कितना मुआवजा देंगे? कुछ विशेष परिस्थितियों के अन्दर यह कानून बनाया गया होगा। उस के बाद हालात बदल चुके हैं मगर भूमि अधिग्रहण कानून वही चला आ रहा है। उन्ही कानून के मुताबिक आशायी के बाद सरकार ने जगह जगह पर जमीनों को नोटिफाई करना शुरू किया। यह बिल मध्य प्रदेश में भूमि अधिग्रहण के विषय में उच्च न्यायालय में हुये एक फैसले के विरुद्ध लाया गया है। वहाँ 1949 में 11 गांवों को नोटिफाई कर दिया गया उसके बाद सरकार अधिस्ता 2 जमीन लेनी गई और उसमें से 600 एकड़ जमीन 1966 में ली गई। नोटिफाई किया 1949 में और जमीन ली गई 1966 में और कम्पेन्सेशन नहीं दिया गया जो कि 1949 में था।

उस पर वहाँ के लोक अदालत में मामला ले गए। अदालत ने उन की बात ठीक समझी और कहा कि यह बात गलत है। चाहिए तो यह था कि

सरकार अदालत के फैसले के सामने खिच मुकाती और इस जमीन को खुर करती और उन लोगों के साथ जिन की जमीन 1966 में ली गई लेकिन कम्पेन्सेशन 1949 का दिया गया, न्याय करती। मगर ऐसा न कर के न्यायालय के फैसले को रद्द करने के लिये यह एक आर्डिनेंस से धावे और अब उसी आर्डिनेंस को कानून की शकल देने के लिए यह बिल लाया गया है।

सभापति महोदय, इस कानून के बारे में जो सब से बड़ी आपत्ति की बात है वह यह है कि इस के अनुसार जो जमीन का मालिक है जिस की जमीन नोटिफाई की जाती है उस का कोई अधिकार छोड़ा ही नहीं गया। हमें अपने संविधान के अन्दर कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। यह ठीक है कि सार्वजनिक कार्य के लिए हम जमीन ले सकते हैं मगर पब्लिक परपज क्या है इसका जस्टिफिकेशन क्या है यह कोई बताने को तैयार नहीं है। मध्य प्रदेश के यह 11 गांव जो 1949 में नोटिफाई किए गए मगर 1966 तक अधिग्रहण की कार्यवाही नहीं शुरू मल नहीं की गई। मैं जानना चाहता हूँ कि 17 साल तक क्या होता रहा? जिस की जमीन नोटिफाई की जाती है वह कुछ कर नहीं सकता, उसे बेच नहीं सकता। उसका विकास नहीं कर सकता और इस प्रकार देश की लाखों एकड़ जमीन जाया पड़ी हुई है। जो जमीन के मालिक हैं उन को उस का मुआवजा नहीं मिलता और उस जमीन का उचित उपयोग भी नहीं हो रहा है।

इस की सब से अमानक मिसाल देश की राजधानी दिल्ली में मिलती है। 1959 में दिल्ली की लगभग 34 हजार एकड़ जमीन इसी धारा 4 के मुताबिक कीच कर दी गई, बन्द कर दी गई। एक साल बाद 16 हजार एकड़ जमीन और कीच कर दी

[श्री बलराज मधोक]

गई। इस प्रकार लगभग जितनी जमीन दिल्ली की है जिस के ऊपर मकान बनाये जा सकते थे या जो खेती के भन्दर थी उसे फ्रीज कर दिया गया मगर उसे डेवलप नहीं किया गया। लगभग 52 हजार एकड़ जमीन जो फ्रीज की गई उस में से अभी तक एक्वायर की गई केवल 22 हजार एकड़ और जो एक्वायर की गई है उसमें से भी डेवलप की गई है केवल 5070 एकड़ और बाकी सारी जमीन खाली पड़ी हुई है। उस जमीन पर खेती हो सकती है न उस जमीन का मालिक उस जमीन को बेच सकता है और नहीं उस का मुआवजा मिला है। जब जब सरकार का जी करता है वह उस को एक्वायर करती जाती है। जमीन एक्वायर अब करते हैं मगर मुआवजा कहते हैं कि वही देंगे जो 1959 में देते। परिणाम क्या हो रहा है? अभी यहाँ पर कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई गई। उन्हें जमीन देने की बात हुई। उन को कहा गया कि तुम्हें जमीन दी जायगी 8 रुपये गज वर्ग के हिसाब से लेकिन वह जमीन गवर्नमेंट ने जिन लोगों से ली हुई है उन को 60 पैसे, 80 पैसे, एक रुपया, दो रुपया गज मुआवजा दिया गया। मगर वही जमीन कोऑपरेटिव सोसायटी की 8 रुपये गज देगे और प्लॉटड एरिया की कीमत तो उस से दूनी यानी 16 रुपये गज होगी। इनका ही नहीं, वह जमीन जो सरकार ने खुद डेवलप की उस में खर्चा होता है 6 रुपये या 8 रुपये गज और सरकार उसे बेच रही है 30 रुपये से लेकर 300 और 500 रुपये गज तक। दिल्ली के भन्दर जितना प्राबलम हाउसिंग का पैदा हुआ है वह इसी कारण पैदा हुआ है कि सारी जमीन सरकार ने ले ली और फिर उसका ब्लोक मार्केटिंग शुरू किया, प्राफिट-यरिंग शुरू किया। इस का लाभ केवल कर्नलमेंट को हुआ। उस से कन्ज्यूमर भी मरा, मकान बनाने वाला भी मरा और

जिसकी जमीन थी, जो मालिक था उसके साथ अन्याय हुआ। इतना ही नहीं कुछ जमीन ऐसी थी जो कि लैंड भ्रान्स ने उस के पहले या फ्रीज आर्डर के तुरन्त पहले कुछ लोगों को बेच दी थी और वहाँ पर कुछ कालोनाइजर्स ने कालोनीज खड़ी कर दी थी। कुछ प्राइवेट लोगों ने भी जमीन ली थी चार रुपये गज, 6 रुपये गज 8 रुपये गज। वहाँ पर उन्होंने अपने मकान बनाये और इस वकत दिल्ली के भन्दर लगभग 1 लाख मकान इस प्रकार की जमीन पर बने हुए हैं और उनमें लोग रह रहे हैं। अब जो ये सारी जमीने एक्वायर की जा रही हैं, यह उन लोगों के ऊपर एक दोहरी मार है—एक तो वह जमीन, जिस पर वे मकान बना कर बैठे हुए हैं, उनसे वे मकान छीने जा रहे हैं, उन को बेघर बनाने की बात की जा रही है, दूसरे कहा जाता है कि तुम्हें बेघर भी करेगे, जमीन भी छीनेंगे, मगर कम्पेन्सेशन देंगे, वह जो 1959 में था। उन्होंने 15 रु० 20 रु० गज में वह जमीन पड़ी है, लेकिन उन को देने एक रुपये, दो रुपये गज। इस प्रकार से लाखों लोगों के बेघर और कगाल होने की सम्भावना पैदा हो गई है।

दिल्ली में किस प्रकार इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है, इसका एक और उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ। दिल्ली में बहुत से गांव हैं, इन गांवों का बन्दोबस्त सन 1908 में हुआ था और तब उन गांवों का लाल-डोरा तय हुआ था, उन गांवों की सीमा निश्चित की गई थी। उस के बाद जिस तरह से आबादी बढ़ी, यह आप सब जानते हैं। लेकिन लालडोरा वहीं सीमित रहा है और उसके बाहर की जमीनों को सरकार द्वारा एक्वायर कर लिया गया है। अब गांववालों के परिवार बढ़ गये हैं मगर वे अपने बड़े हुए परिवार के लिये मकान बनाना चाहते हैं, तो

बना नहीं सकते, इस कारण आज बहुत से गांव उजड़ रहे हैं। नरैना गांव दिल्ली का एक बड़ा गांव है, उस के इर्द-गिर्द जितनी जमीन है, जहां पर लोगों के भकान बने हुए हैं, उन को लिया जा रहा है, लोगों के भकान तोड़े जा रहे हैं और उन को मुआवजा न के बराबर दिया जा रहा है।

दिल्ली का जो सिवेज का पानी जाता था, उस से इर्द-गिर्द के इलाके में काफी भच्छी होती होती थी। भोखले के पास कुछ गांव हैं जहां उस पानी को इस्तेमाल कर के काफी भच्छी होती होती थी उस से कारपोरेशन को भी 10-15 हजार रुपये साल की आमदनी होती थी क्योंकि वे उस पानी को खेती के काम के लिये दे देते थे। इस पानी से हजारों एकड़ भनाज पैदा होता था। लेकिन वह जमीन भी ले ली गई है। अब वहां न खेती हो सकती है और न भनाज पैदा हो सकता है और हम तरह से कारपोरेशन को जो आमदनी होती थी वह भी खत्म हो गई है। खाली जमीन पड़ी हुई है, उसे नोटिफाई कर दिया गया है, किसानों से जमीन छीन ली गई है लेकिन कम्पेन्सेशन नहीं मिला है वहां पर खेती नहीं होने दी जाती जो भनाज वहां पर पैदा हो सकता था, जो तीन-चार फमलें हा सकती थी वह अब नहीं हो सकती। यह कैसी नीति है? उसका कोई भी जस्टीफिकेशन नहीं है। यह "बाय इन दी मेन्जर" की नीति है, न हम कुछ करने और न दूसरों को करने देंगे।

भच्छा तो यह था कि हाई कोर्ट ने जो फैसला किया था, उसकी लाइट में इस कानून में संशोधन करते, लेकिन ऐसा करने के बजाय आपने आर्डिनेंस निकाल कर उस फैसले को खत्म कर दिया, और अब इस को कानून की शक्ल देने जा रहे हैं। यह एक गलत कार्य-बाही है। मंत्री महोदय ने कहा है कि वे एक कमेटी मुकदर करेंगे जो इस बारे में पुनर्निर्धार करेगी, मगर मैं पूछना चाहता हूं कि इस

बिल को लाने की जल्दी क्या थी, बोझा इन्तजार किया जा सकता था। यह भी सुझाव दिया गया है कि इस बिल को पब्लिक प्रोपीनियम बिल के लिये प्रसारित किया जाय, मैं भी यहीं कहना चाहता हूं कि बोझा इन्तजार कर लीजिये, जल्दी न कीजिये, और एक कम्प्रीहेन्सिव कानून बनाइये जो जरूरियात को पूरा कर सके। आज जो बिल पेश किया गया है यह हमारी आवश्यकताओं को, जरूरियात को पूरा नहीं कर सकता, हम लिये एक कमेटी मुकदर कीजिये, उस में पार्लियामेंट के मेम्बरस हों राज्य के मेम्बरस भी लिये जा सकते हैं, क्योंकि यह कानून केक्ट सब्जेक्ट है वह कमेटी इस पर विचार करे, उस के बाद सुझाव दे और तब उस के आधार पर एक नया कम्प्रीहेन्सिव कानून बने और उसके अनुसार धर्मों का काम किया जाय। इस समय लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसको बन्द किया जाय।

जो जमीन आपने ली है, उस के सम्बन्ध में अब कहा गया है कि डिक्लेमरेशन तीन साल में करेंगे, तीन साल में निर्णय करेंगे तीन साल क्यों? जिस वक्त जमीन को एक्वायर करने हैं, नोटिफाई करते हैं, उस वक्त आपके पास प्लान होना चाहिये कि कितनी जमीन की आपकी जरूरत है। गवर्नमेंट के पास इतने रिजर्व्स हैं, इतने साधन हैं, फिर भी वे तय नहीं कर सकते कि उनको कितने सालों में डेवलप करेंगे। जब गवर्नमेंट का यह हाल है, तो प्राइवेट प्राइमी क्या कर सकता है। तीन साल का समय लेने का कोई सबाल नहीं है, यह तो केवल धाड़ों में बूल झोकने वाली बात है, इस से कुछ नहीं बनेगा।

इस लिये मेरा अनुरोध है कि इस बिल को वापस लिया जाय, अगर वापस नहीं लिया जाता तो इसे पब्लिक प्रोपीनियम जानने के लिये परिचालित किया जाय इस बीच जिस कमेटी का सुझाव दिया गया है

[श्री बलराम मधोक]

इस को मुकदमा किया जाय और उसे कमेटी के इस कानून के तमाम पहलुओं पर विचार करने के बाद इस बिल को उसे के मुताबिक डाला जाय और तब तक जिनकी जमीनें ली गई हैं, उन को कम्पेन्सेशन दिया जाय। यह कम्पेन्सेशन आज की जो मार्केट वैल्यू है उसके मुताबिक दिया जाय। गवर्नमेंट दूसरों को कहती है कि ब्लैक मार्केट करते हैं, प्राफिटीय-रिंग करते हैं, लेकिन यहां पर वह खुद प्राफिटीय-रिंग और ब्लैक मार्केटिंग करना चाहती है, इस लिये गवर्नमेंट खुद इस ब्लैक मार्केटिंग की बन्द करे करना दिल्ली के भन्दर हाउसिंग प्राबलम और भयानक होता चला जायगा मैं उम्मीद करता हूं कि इस मुद्दा पर मंत्री महोदय विचार करेंगे और इस बिल को अभी पास होने के लिये जिद नहीं करेंगे।

श्री ब्रह्म प्रकाश (वाहा-दिल्ली) : बेयरमैन साहब, जिस तरह से और जिस शकल में यह बिल सामने आया है, मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं क्योंकि यह बिल कास्तकारों के साथ.....

Shri Sonavane (Pandharpur): Sir, there is no quorum in the House.

Mr. Chairman: Let the bell be rung.... now there is quorum. The hon. Member may continue his speech.

श्री ब्रह्म प्रकाश : मैं कह रहा था कि यह जो बिल है यह दिल्ली के और हिन्दुरतान के कास्तकारों के साथ बड़ी जबरदस्त बेइन्साफ़ी है और जिस शकल में यह बिल आया है वह उस मन्शा के खिलाफ है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में बाहिर हुई हैं। यह बिल इस सम्बन्ध में जो ला-कमीशन की रिपोर्ट है, उस के भी खिलाफ है और अभी गवर्नमेंट ने जो अपनी एक कमेटी एक्सपर्ट्स की बुलाई थी आर्कॉलियल कमेटी और जिसकी रिपोर्ट

भी साबब महीना भर हुआ है, निकली है यह उसकी मन्शा के भी खिलाफ है। अभीव बात है कि हाई कोर्ट के फैसले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले, ला-कमीशन की रिपोर्ट जो कि गवर्नमेंट का मुकदमा किया हुआ लमीशन था या एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट, इन सब की मन्शा के खिलाफ यह बिल यहां पर पेश किया जाय, इस को देख कर मुझे अफसोस होता है।

मुझे दिल्ली के कुछ बोर्डे से मामले मालूम हैं कि यहां किया तरह से यह समझ कर कि 1981 तक वा दिल्ली का डबेलपमेंट का प्लान चलाना है, लिहाजा उस के लिये जमीनें अभी से एक्वायर कर दी जायें, सन् 1959 में कोई 35 हजार एकड़ जमीन एक्वायर की गई और अब तक कोई 60 हजार एकड़ जमीन एक्वायर हो चुकी है। जिनमें ऐसे बहुत से केसेज पड़े हुए हैं कि 5-6 साल बीत जाने पर भी उनका कम्पेन्सेशन अभी तक नहीं दिया गया है और कम्पेन्सेशन देने का जो तरीका है, वह भी गलत है ला-कमीशन और एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक। यह जो कहा गया है कि खेती की जमीन न ली जाये क्योंकि कमीशन की रिपोर्ट है और एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट है कि जहाँ तक हो सके खेती की जमीन न ली जाये....

श्री हरम खन्ना काकाबाय (उज्जैन) : सभापति महोदय यहां कैबिनेट का कोई मंत्री नहीं है। यह इतने महत्व का विषय है लेकिन फिर भी मंत्रिमंडल का कोई मंत्री उपस्थित नहीं है। (अध्वक्ष) मंत्रिमंडल का मंत्री उपस्थित होना जरूरी है। मैं निवेदन करूंगा कि तुरन्त मंत्री महोदय को बुलावा जाये।

श्रीता मन्नालाल भैं र अश्व-मन्त्री (श्री भागवत शाखाजीव) : इस की कोई जरूरत नहीं है।

श्री हुकुम चन्द कछवाय : आप कृपया को देखिये तो पता चलेगा कि सदन के अन्दर कोई कैबिनेट का मंत्री जरूर उपस्थित रहना चाहिये।

श्री डा० ना० तिवारी : (गोपालगंज) राज्य-मंत्री बिल के इंचार्ज हैं वह उपस्थित हैं।

श्री हुकुम चन्द कछवाय : यह सदन की अवहेलना है। मंत्री नहीं हैं।

Shri Annasahib Shinde: I have moved the Bill. I am here.

12.31 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair]

श्री ब्रह्म प्रकाश : मैं कह रहा था कि जो उसूल लैंड ऐन्विजिशन के सम्बन्ध में ला कमिशन और एक्सपर्ट कमेटी ने रखे हैं उन उसूलों का इस बिल में ध्यान नहीं रखा गया है, और इस बिल की रूढ़ि से हिन्दुस्तान के हजारों, लाखों किसानों के ऊपर एक तरह से बड़ा अन्याय है। इस बिल में कहा गया है कि तीन साल के अन्दर अन्दर अगर दफा 4 की नोटिस न आये तो तीन साल के अन्दर कोई दूसरा नोटिफिकेशन आ जाये। लेकिन दूसरे नोटिस के लिये कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है। वह पांच साल भी चल सकता है, छः साल भी चल सकता है और दस साल भी चल सकता है। इस लिये यह बड़ी जबर्दस्त कमी है और तीन साल की जो पाबन्दी लगाई गई है उस का कोई मतलब नहीं रह जाता।

एक उसूल रखा गया है कि जमीन उसरी ही ऐक्वायर होनी चाहिये जितने को ऐक्वायर करने के लिये आप के पास बजट में प्राविजन हो। जितना आप खपा देकर के ऐक्वायर कर सकें। मैं यह कह

सकता हूँ कि बिन्नी की जमीन को ऐक्वायर करने के लिये जो नोटिस दिया गया है उस को ऐक्वायर करने के लिये कम से कम 100 करोड़ खपा चाहिये। 100 करोड़ खपा अगले 30 या 40 सालों में भी गवर्नमेंट देने को तैयार नहीं होगी ताकि उतना देकर जमीन को ऐक्वायर किया जा सके।

आप को मान्य ही होगा कि जिस जमीन के लिये नोटिस दिया जाता है आम तौर से किसान उस पर इन्वेस्टमेंट करना छोड़ देता है। यहां मैं धन्य करना चाहता हूँ कि जिस जमीन के लिये दफा 6 के मातहत आपकी तरफ से नोटिस दिया गया और जिसका कब्जा ले लिया गया, वह बेकार पड़ी हुई है सालों से। देहात की जो खेती की जमीन है जिसमें कुएं हैं, पानी है, अच्छी सज्जियां वहां लगती हैं। हम ने कहा कि यह जमीन आप काश्तकारों के हवाले कर दें और जब तक आप इस्तेमाल न करें, जब तक आपके पास उसका इस्तेमाल नहीं है, तब तक के लिये वह फल फूल उगा सकें, सब्जियां उगा सकें, तो उस को भी मना कर दिया गया और कहा गया कि अगर दुबारा उसे काश्तकारों को दे दिया जायेगा तो वह लोग बाद में उस पर कब्जा कर लेंगे और उसको वापस नहीं करेंगे। लिहाजा वह जमीन बेकार पड़ी हुई है।

जहां कहा गया कि हम एक कमेटी बनायेंगे, तो मैं कहता हूँ कि आप उस कमेटी की रिपोर्ट का इन्तजार करें। पालिया-मेंटरी कमेटी का बहुत अच्छा चुनाव है और इस बिल को इस वक्त पास करने की जरूरत नहीं है। इस को आप इस्तेमाल में डाल दीजिये और कमेटी मुकर्रर कर दीजिये। जमीन को हमेशा के लिये लेने का जो फैसला है वह हमेशा के लिये न किया जाये। कमेटी में सेजिये जिस में कि कितने समय के लिये लिवा जाये वही नहीं मसिक

[श्री बहा प्रकाश]

कितना कम्पेन्सेशन दिया जाये इस का भी फैसला ठीक तरह से हो सके।

बातें तो बहुत सी कहने की हैं मैं उन सब बातों के भन्दार नहीं जाना चाहता, जो सा कमीशन की रिपोर्ट और एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट पढ़ेंगे उन के सामने साफ हो जायेगा कि यह जो बिल है यह सब तरह से उन उसूलों के खिलाफ है जो कि हमने दिये गये हैं। लिहाजा मैं यही महोदय से प्रार्थना कहूँगा कि इस बिल के पाम करने में वह जल्दी न करें और पार्लियामेन्टरी कमेटी जल्दी से जल्दी नियुक्त कर दें जो कि भ्रमलेक्षण तक अपनी रिपोर्ट दे दे ताकि एक वीसमील बिल नहीं बल्कि एक कॉम्प्रेहेन्सिव बिल लैड ऐक्विजिशन पर आ सके ताकि जहाँ हिन्दुस्तान के किसानों के साथ भ्रम्याय न हो, जहाँ दिल्ली के किसानों के साथ भी भ्रम्याय न हो वहाँ इस सब के लिये वह जमीन इस्तेमाल होगी उस के साथ भी भ्रम्याय न हो।

इन शब्दों के साथ जो कारण मैं ने दिये हैं उन की वजह से मैं इस बिल का विरोध करता हूँ।

Shri V. Krishnamoorthi (Cuddalore): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise to point out some of the technical difficulties which are likely to arise if we pass this Bill in its present form. Therefore, I would suggest that the Bill may be referred to a Select Committee in order that it may be improved upon and not passed it very hastily in this manner.

This Bill has been brought forward by the hon. Minister in order to obviate the difficulties pointed out by the Supreme Court in the manner of notification, report and determination of the acquisition and also in order to shorten the period for the notification under section 4 and the declaration under 6 of the Act.

I would like to state that we do require land for public purpose. We are, therefore, not at all questioning that. There should not be any obstacle in the way of acquisition of land for reasonable purposes at reasonable prices and within a reasonable time. But I have to pity the land-owners of Madhya Pradesh whose lands were notified in 1949 and who would be paid compensation only at the 1949 price. The Supreme Court has nullified the notification and has stated that it is unjust to put these land-owners to loss because under the Act as it stands now, the owners of land in Madhya Pradesh have to receive compensation only at the price prevalent in 1949. My appeal to the Government as well as to you is this. Is it just on our part to make the people suffer in this manner? Then the Supreme Court has decided it as unjust, we should not try to circumvent it by again validating those provisions which the Supreme Court has decided as unjust in this particular case my submission is that the owners of the land have been deprived of the right to own property and the right to get just market value for the land.

Therefore, I would plead that the hon. Minister may circulate the Bill for eliciting public opinion thereon, or have it referred to a Select Committee. Clause 4 of the Bill seeks to validate some of the provisions or some of the notifications which were struck down by the Madhya Pradesh High Court and upheld by the Supreme Court also. It is not at all correct. I represent a party which is the ruling party in Madras. We also find some obstacles in the way of acquiring lands for public purposes. But we hold the view that we should not be hasty in bringing forward legislation in this manner and we should not give room for such legislation to be questioned again in the Supreme Court.

Here the hon. Minister has introduced a provision revalidating some of the notifications which have been declared *ultra vires* by the Supreme Court and struck down. In Madras we had a similar case in 1964, the famous Vajravelu Mudaliar case which was decided by the Supreme Court here. There the previous Government issued a notification under sec. 4 and then it waited for years together and then it passed the award in 1964 which was questioned by the Madras High Court. It was taken up again by the Madras Government and brought to the Supreme Court. Then the Supreme Court gave a judgment which is really worth noting. I say this because we should not give room for this Bill also facing the same difficulty in the Supreme Court again.

There is a fundamental right given to owners of property and they will go to the court in order to uphold it. Recently there was a decision by the Supreme Court to the effect that Parliament has no right to pass any law abridging the fundamental rights guaranteed in Part III of the Constitution. In the face of that decision, here is a Bill which seeks to validate some of the notifications declared to be unjust by the Supreme Court. The case I referred to earlier, the Vajravelu Mudaliar case, is similar to the present one. This Bill concerns the judgment in the Madhya Pradesh case where a notification was issued in 1949 but final declaration was made in 1963 or 1964 after a gap of so many years. The same was the case in relation to the Madras case. There the Supreme Court has ruled like this:

"If a law says that though a House is acquired, it shall be valued as a land or that though a house site is acquired it shall be valued as an agricultural land and that though it is acquired in 1960 its value in 1930 should be given, then the principle does not pertain to the domain of adequacy".

Also:

"If the compensation is illusory or the principles prescribed are irrelevant to the value of the pro-

perty at or about the time of its acquisition, it can be said that the legislature has committed a fraud on the power and therefore the law is bad".

Again they have stated:

"When the court says that a particular legislation is colourable, it means the legislature has transgressed its legislative powers and in an overt or indirect manner it adopts a device to outstep the limits of its powers".

My humble submission is that the judgement given in the Vajravelu Mudaliar case by the Supreme Court clearly gives a loophole to impugn section 4 of this provision. The hon. Minister can very well say that the Government will have to face so many proceedings. As my hon. friend suggested, it is open to Government to notify afresh. We are not questioning the sovereignty of Parliament or denying the right of Government; it is open to Government, both at the Centre and in the States, to notify afresh and then proceed in the manner suggested, but they should not validate a thing which has been adjudged unjust by the Supreme Court. So, in the light of that decision, this section 4 clearly abridges or takes away the fundamental rights guaranteed under the Constitution. Hence, it must be referred to the Select Committee.

Secondly, in order to obviate difficulties, he has introduced a provision in clause 3 to add the following words:

"and different declarations may be made from time to time in respect of different parcels. ..."

There is also a proviso:

"Provided that, no declaration in respect of any particular land covered by a notification under Section 4, Sub-Section (1), published after the commencement of the Land Acquisition (Amendment and Validation) Ordinance, 1967, shall be made after the expiry of three years from the date of such publication."

There is also a further provision. My submission that the duration is really

(Shri V. Krishnamoorthi.)

too long, and I have therefore given amendment that the period should be reduced to one year and six months respectively.

If my house is to be acquired by the Government, I must get the market value of the previous day. If the Government want to acquire a company, it pays the market value of the shares on the previous day, but if the Government wants to acquire land it desires to pay compensation at the rate prevailing on the date of the preliminary notification, not that prevailing on the date of the final notification. Why? Today a piece of land may cost Rs. 1,000 in one locality, and within one year it may cost Rs. 10,000. Why should the Government deprive the right of the individual guaranteed under the Constitution? That is my objection. And the duration of time between the preliminary and final notifications should be shortened, in my submission, is it should not exceed more than six months in any case.

The Minister should not be in haste in proceeding with this Bill, because it will be challenged again in the Supreme Court, and once a writ is filed and a stay is granted, it takes another two or three years. So, it is not going to solve the problem, to serve the purpose the Minister has in view. So, we should not be hasty. We can very well pass this legislation after referring to the Select Committee, in the next session. Nothing will happen. The ordinance is there, which has got a life of another two or three months. So, my submission is that the Bill be referred to a Select Committee in order to overcome the difficulties pointed out by me and by other hon. Members of the Opposition.

श्री बसवन्त (भिवंडी) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने भूमि अधिग्रहण का जो बिल आया है, जो मैरी राय इसके सम्बन्ध में है उसको मैं आप के सामने रखना चाहता हूँ। मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र की जो कठिनाइयाँ हैं उनको ही मैं सदन के सामने रखना चाहूँगा। उन सब को देखते हुए यह अच्छा होगा कि भूमि अधिग्रहण बिल को रखने की अनुमति दी जायें या न दी जाए।

पहले तो मैं यह बतलाना चाहता हूँ कि भूमि अधिग्रहण तीन उद्देश्यों को लेकर किया जाता है। एक तो सरकार खुद अपने कामों के लिए जमीन लेती है। दूसर कोई नहर या पार्क बनवाना होता है तो उसके लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाता है और सार्वजनिक उद्देश्य को लेकर कर ऐसा किया जाता है। तीसरे जब कम्पनियाँ बिठाने की बात होती तो एम० आई० डी० सी० के नाम के ऊपर उद्योग-पतियों को सस्ती भूमि देकर उन कम्पनियों को बिठाया जाता है।

जहाँ तक पहली दो बातों का सम्बन्ध है, राष्ट्रीय भावना को ध्यान में रखते हुए यह ठीक मालूम पड़ता है कि भूमि का अधिग्रहण किया जाए और ऐसा करने के बाद भूमि के ठीक दाम चुकाये जायें। लेकिन जहाँ तक तीसरी बात का सम्बन्ध है, उसके सम्बन्ध में मैं अपने क्षेत्र के कुछ मामले आपके सामने रखूँगा तो अच्छा होगा।

30 अगस्त, 1962 को इस सदन में भूमि अधिग्रहण बिल पर विचार हुआ था। मैंने उसी समय अपनी कुछ राय प्रकट की थी। उस समय पाटिल साहब कृषि मंत्री थे। उन्होंने बहुत प्रामिसिज किये थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1962 से लेकर 1967 तक उस कानून के अन्तर्गत किस तरह कार्यवाही की गई और उन प्रामिसिज को किस हद तक पूरा किया गया।

थाना डिस्ट्रिक्ट में बेलापुर पट्टी, आजदे गोलीवली, अम्बरनाथ मोरीवली, वांगणी, खारवाई और मानकीवली गांवों में कम से कम पच्चीस हजार एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया। जब बेलापुर पट्टी में काम शुरू होने लगा, तो पार्लियामेंट का सदस्य होने के नाते मुझे भी बुलाया गया और मुझे कहा गया कि चूँकि वहाँ पर फैक्टरी खड़ी करनी है, अच्छा काम हो रहा है, इसलिए मैं किसानों को कहूँ कि वे नोटिस मिलने पर अपनी भूमि को कब्जे में दे दें, ताकि वहाँ पर काम शीघ्र ही शुरू कर दिया जाये।

मुझे यह भी आश्वासन दिया गया कि फीक्टरी तैयार होने पर साठ क्रीसबी कर्मचारी वहाँ के लोगों में से रखे जायेंगे। 1962 के बाद क्या हुआ? वहाँ पर आई० सी० आई० श्रीर मुक्तलाल ग्रुप की फीक्टरियां खड़ी की गईं। उन फीक्टरियों में शुरू शुरू में कुछ आबमियों को रख लिया गया, लेकिन बाद में कहा गया कि वे आबमी हमारे काम के नहीं हैं और फीक्टरियों के पूरा होने पर उन को निकाल दिया गया। उन में दस परसेंट कर्मचारी भी वहाँ के लोगों में से नहीं रखे गए।

भूमि अधिग्रहण के समय एम० आई० डी० सी० ने यह बात तय की थी कि जब हम बीस हजार एकड़ जमीन ले रहे हैं, तो हम वहाँ पर एक इंस्टिट्यूटल ट्रेनिंग सेंटर भी खोलेंगे और जिन किसानों की भूमि ली जायेगी, उन के लड़कों को भी हम शिक्षा देंगे और उन को फीक्टरी में काम पर भी लगायेंगे। लेकिन आखिर में क्या हुआ? ट्रेनिंग सेंटर के लिए भूमि मुकर्रर की गई। जब तक बिल्डिंग नहीं बनी, तब तक के लिए एक शार्ट-टर्म कोर्स तैयार किया गया, और 60 विद्यार्थियों को छ महीने तक प्रशिक्षण दिया गया। उन में से अभी तक केवल दो को सर्विस में लिया गया है और बाकी के 58 बेकार घूम रहे हैं। जहाँ तक लॉन्ग-टर्म कोर्स का सम्बन्ध है, एम० आई० डी० सी० के सेक्रेटरी ने मुझे कहा कि हम ने एजुकेशन डिपार्टमेंट को कह दिया है कि इस सम्बन्ध में जो भूमि निश्चित की गई है, वहाँ पर आई० टी० आई० सेंटर खोल दिया जाये, जिस में उन लोगों को प्रशिक्षण दिया जाय। मैं समझता हूँ कि ऐसे उपदेश देने से एजुकेशन डिपार्टमेंट काम नहीं करेगा। यह काम तो एम० आई० डी० सी० को स्वयं अपने हाथ में लेना चाहिए था, क्योंकि उसी ने इस का आह्वान किया था।

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि भूमि के जिससे एक सौ कई प्रकार के आश्वासन दिये जाते हैं कि हम यह करेंगे, वह करेंगे, लेकिन बाद में उन लोगों के साथ बिचारबलत

किया जाता है और अगर मैं यह कहूँ कि उन का गला बँटा जाता है, तो कोई अनुचित बान नहीं होगी।

खरीदली और मानकीकृत गांवों में 400 एकड़ भूमि के अधिग्रहण का प्रश्न था। सरकार की ओर से कहा गया कि किसान उस जमीन को बालन्टेरिजी दे दे। सार्वजनिक कार्य करने वाले हम लोगों को वहाँ से जाया गया और इन के परिणामस्वरूप वह जमीन सरकार को दे दी गई। बाद में हमें पता चला कि उस जमीन का दाम एक एकड़ अर्थात् पांच हजार गज के लिए चार सौ रुपये के हिसाब से दिया गया, जबकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दो साल पहले सचिवालय के सामने जो जमीन बेची, उस का दाम आठ हजार रुपये प्रति-गज के हिसाब से लिया। मैं कोई गलत या झूठ बात नहीं कह रहा हूँ। मैं ने चीफ मिनिस्टर से प्रपील की कि इस जमीन का उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने 15-3-67 को मुझे एक खत लिखा, जो कि मराठी में है। उस खत में उन्होंने कहा, "या बाबतचे कागद पत्र मी पाहिले। विशेष भू-संपादन अधिका-याने त्याचेसमोर घानेला सर्व पुरावा लक्षात घेऊनच नुकसान सरप्राईची रक्कम जाहीर केलेली आहे घसे दिसून येते"। इस का मतलब यह है कि सरकार का इस से ज्यादा मुआवजा देने का न तो विचार है और न ही वह दे सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस का हिन्दी में तर्जुमा कर दें।

श्री बसवन्त : मैं ने मुख्य मंत्री को खत लिखा था कि उन लोगों को चार सौ रुपये गज प्रति-एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जा रहा है वह बिल्कुल कम है और वह स्वयं इस मामले को देख लें। तीन महीने के बाद उन्होंने मुझे यह उत्तर दिया कि उन्होंने सारी बातें देख ली हैं और उन की ऐसा लगता है कि सरकार कमजोरी दौर के इस से अधिक मुआवजा नहीं दे सकती है।

[श्री बसवन्त]

इस से बिल्कुल प्रत्यक्ष हो जाता है कि उद्योगपतियों के लिए सरकारी अधिकारियों के द्वारा जिन किसानों की भूमि ली जाती है, उन को पूरा दाम नहीं दिया जाता है। न तो उन को पूरा मुआवजा दिया जाता है और न ही सरकार का ऐसा विचार है। जो भूमि बम्बई के नजदीक है, स्टेशन और रोड के समीप है उसी को पहले एम० आई० डी० सी० के नाम से छीन लिया जाता है। उद्योगपति कहते हैं कि पहले उस जमीन को ले लिया जाये, चाहे वह जमीन कितनी अच्छी और उपजाऊ ही क्यों न हो। उद्योगपति ऊंची-नीची और दूर स्थित जगहों पर भूमि को लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि भूमि-धर्जन के अन्तर्गत ऐसी कार्यवाहियाँ हो रही हैं, जिन से किसानों को बहुत हानि होती है। इस सम्बन्ध में जो आश्वासन दिये गए थे, उन को 1962 से ले कर आज तक पूरा नहीं किया गया है। मैं मदन से निवेदन करना चाहता हूँ कि हम लोग किसानों के बोटों से चुन कर यहाँ आए हैं। उद्योग-पतियों के लिए, मफतखान ग्रुप जैसे करोड़-पतियों के लिए दो तीन आने गज के हिसाब से किसानों से भूमि लेना अच्छी बात नहीं है। इसलिए इस प्रकार के भूमि धर्जन बिल को मान्यता देने में हम असमर्थ हैं।

जिन किसानों की भूमि चली जाती है वे और उन के लड़के तो कभी सविन नहीं करते हैं, उन को कोई जानकारी नहीं होती है। पहली मर्तबा उनको नौकरी में भेज लिया जाता है लेकिन उन के छोड़ जाने के बाद और लोगों को भर्ती कर लिया जाता है। फैक्टरी में घाठ दस हजार प्राथमी काम करने वाले होते हैं। यद्यपि बम्बई में प्राहिबितन है लेकिन जिस को माँव की मर्राब कहते हैं, उस का धंधा किसानों के लड़कों के हाथ में आ जाता है।

मेरी प्रार्थना है कि सरकार की ओर से जो अभिवचन दिये गए हैं इन्हीं मंत्रालय को उन को पूरा करना चाहिए। जिन उद्योगपतियों के लिए भूमि ली जाती है उन के ऊपर इस प्रकार का कानूनी बाधित आला जाना चाहिए कि जिन किसानों की भूमि ली जाती है उन को सिखाने पढ़ाने, उन को प्रशिक्षण देने और उन को नौकरी पर लगाने की व्यवस्था करना जरूरी है न कि उनका गला बोट आ जाए।

कांग्रेस दल का सबसे बड़ा हथियार भी मैं इस बिल का विरोध करता हूँ। आप ने मुझे जो समय दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

श्री महाराज सिंह भारती (मेरठ) :
उपाध्यक्ष महोदय आज पूरे देश में जो प्लानिंग चल रहा है उस का मतलब तो यह होना चाहिए कि देश के हर एक धंग का ध्यान रखा जायें और एक नियोजित ढंग से देश का विकास किया जाये। लेकिन जब सरकार को कोई नियोजन का हिमाब याद नहीं रहता है और मुल्क अपने ही ढंग से बढ़ना शुरू होता है तब इस प्रकार की परेशानी होती है कि दिल्ली शहर इतना बढ़ ग-1 है इस को और कहां तक तक बढ़ाया जाये और लोगों की जरूरतें कैसे पूरी की जाये। चौधरी ब्रह्म प्रकाश के यहां जमीन कम दिखाई देती है तो फिर चले जाते हैं मेरठ की तरफ। हम तो उन बर्कस्मिन् इन्सानों में से हैं जिन के कागज पर मालिक - लखनऊ वाले हैं और मौके पर मालिक दिल्ली वाले हैं। लखनऊ वाले तो इसलिए हमारी उपेक्षा करते हैं कि हमारा सारा पूँज, सब्जी और सब चीजें दिल्ली में जाती हैं और दिल्ली वाले इसलिए हमारी उपेक्षा करते हैं कि कानपूर पर दिल्ली के हमारा कोई बाधता नहीं है।

हम को ऊपर प्रवेश वाले हैं। कवरल पट्टी बन्दे श्री, दिल्ली के हुक्म गया कि दिल्ली

के मास्टर प्लान में गाजियाबाद का मास्टर प्लान फिट कर दिया जाय। वह फिट कर दिया गया। 52 गांवों को हुक्म दिया गया कि 6 वैसे गज मझावजा मिलेगा, सरकार सुम्हारी जमीन ले रही है। मंत्री जी बैठे हुए हैं, राम सुभग सिंह जी भुक्तभोगी हैं, इन को बीच में डाला गया था। दो सी डार्ड सी किसान यहां आकर पालिमेन्ट को चेरे पड़े थे। डेढ़ दो महीने पड़े रहे। सब वह एक रुपये और दो रुपये गज तक छाये थे और आज वही जमीन 50 रुपये गज मिल रही है।

19 hrs.

कहां शहर बसाये जाय, कैसे बसाये जाय, कहां बढ़ाये जाय, हमारे प्लानिंग के अन्धर कोई इस का हिसाब नहीं है। भूमि अर्जन करना है, भूमि लेना है, लेकिन यह कोई नहीं जानता कि शहरों के चारों तरफ की ही भूमि इस क्षेत्र में सब से ज्यादा कीमती भूमि है जो सच्ची पैदा कर सकती है, कई फसल पैदा कर सकती है। उस से अच्छी भूमि कहीं नहीं होती। जब किसान 15-20 साल मरने पचने के बाद उस को बढ़िया

बनाता है उस में अपने कुएं बैठाता है, उस को ठीक करता है, सच्ची पैदा करने लगता है, और जब गाजियाबाद की पैदा की हुई गोभी न सिर्फ दिल्ली वाले बल्कि कलकत्ता वाले भी खाने लगते हैं, तब उन से यह कहा जाता है कि हम को बंगला बनाने के लिए जमीन चाहिए और वही बढ़िया जमीन इस तरह धीरे धीरे चली जायेगी शहर के बढ़ने में। हमारी सरकार के नियोजन ने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि शहरों का बढ़ाना रोक दिया जाय। पड़ी हुई जमीन पर शहर बसाये जाय। मौजूदा शहर न फैले। एक लाख को दस लाख में न बढ़ाया जाय। नये सिरे से एक लाख बनाया जाय या कहीं दस हजार बीस हजार में बदल दिया जाय। पर इस तरह की चीज कोई नियोजन में है नहीं। नतीजा यह होता है कि मेरठ के लोग इस घाप के बढ़ते हुए शहर के शिकार हो जाते हैं।

Mr. Deputy-Speaker: He may continue tomorrow.

19.00 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, April 6, 1987/Chaitra 16, 1889 (Saka).